(वाद सं0.-5835/4/27/2020)

28.02.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादो, रामपरी देवी, पत्नी हजारी महतो, ग्राम+पंचायत– लादूगढ़, थाना–जानको नगर, जिला– पूर्णियाँ को वर्ष 2016 से वृद्धा पेंशन राशि का भुगतान नही किये जाने से संबंधित है।

पूर्व में उक्त पर **जिला पदाधिकारी, पूर्णिया** से प्रतिवेदन की मांग की थी। प्रतिवेदनानुसार परिवादी को अप्रैल, 2016 से जून,2019 तक के बकाया वृद्धा पेंशन का भुगतान नहीं हो पाने के संबंधित तथ्य का स्वीकार किया गया था।

तत्पश्चात्, राज्य आयोग द्वारा लंबित उपरोक्त अबधि का वृद्धा पेंशन के भ़गतान के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, पूर्णिया** द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि **परिवादी को अप्रैल, 2016 से जून, 2019 तक के बकाया इन्दिरा गाँधी वृद्वावस्था पेंशन योजना का भुगतान किया जा चुका है।**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, पूर्णिया** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, पूर्णिया** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक